



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय से  
माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आगामी सत्र 2014-16 एवं 2015-17  
मात्र दो सत्र की अनुमति की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 89/2014**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1656 दिनांक 08.09.14 एवं 2189 दिनांक 26.11.14 के आलोक में स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को अपने विद्यालय से अतिरिक्त आगामी दो सत्रों (2014-16 एवं 2015-17) के लिए माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित कराने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई है कि - ऐसे स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय मात्र इसी सत्र हेतु नामांकन करेंगे तथा आगामी सत्रों हेतु उनके द्वारा प्रसवीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन किया जाएगा। स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में अगर किसी छात्र के द्वारा नामांकन कराया जाता है तो इस हेतु उनके अभिभावक जिम्मेवार होंगे तथा ऐसे छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा।

**अध्यक्ष के आदेश से,**

**ह./-**

**( मोहन चाँद मुक्तिम )**

**सचिव,**

**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**

JAC/कॉ.स्था./8848/11/SECY/629/14  
Dt. 19.12.14  
D.O.P : 20.12.14

8X8